भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1771**

(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 10 फरवरी 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात प्रोत्साहन

1771. **श्री धर्मबीर सिंह:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं में मेट्रो-विहीन जिलों में एमएसएमई की भागीदारी को प्रोत्साहित कर रही है;

(ख) क्या जिला-स्तरीय सुविधा केंद्रों को सशक्त किया जा रहा है;

(ग) प्रदान की जाने वाली क्षमता-विकास सहायता का स्वरूप क्या है; और

(घ) भिवानी-महेंद्रगढ़ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में उद्यमों के लिए निर्यात-सम्बंधित कौन सी पहलें की गई हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) - सरकार ने 12 नवम्बर 2025 को **निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम)** स्कीम को मंजूरी प्रदान की है जिसका उद्देश्य भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना और वैश्विक बाजारों में निर्यातकों, विशेष रूप से पूरे भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को लक्षित सहायता प्रदान करना है। ईपीएम दो एकीकृत उप-स्कीमों के माध्यम से संचालित होगी:

- निर्यात प्रोत्साहन- ब्याज सहायता, निर्यात फैक्टरिंग हेतु सहायता, निर्यात ऋण के लिए आनुषंगिक गारंटी, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए ऋण और निर्यात विविधीकरण के लिए ऋण प्रोत्साहन सहायता जैसे साधनों के माध्यम से व्यापार हेतु वित्त तक पहुंच बनाने में सुधार पर ध्यान केंद्रित करती है; और

- निर्यात दिशा- निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन सहायता, अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिग और पैकेजिंग, बाजार पंहुच पहल, निर्यात लॉजिस्टिक्स तथा भंडारण, क्षमता निर्माण और व्यापार आसूचना जैसे अन्य व्यापार एनेबलर्स पर ध्यान केन्द्रित करती है।

(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने अपने उत्पादों और सेवाओं के निर्यात में एमएसएमई को अपेक्षित मार्गदर्शन और व्यावहारिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से देश भर में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में 65 निर्यात सुविधा केंद्र (ईएफसी) स्थापित किए हैं। निर्यात सुविधा केंद्र (ईएफसी) प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक सहायता प्रदान करके एमएसएमई निर्यातकों की सहायता करते हैं। इनमें निर्यात से संबंधित स्कीमों और लाभों की जानकारी का विस्तार, निर्यात अनुपालन संबंधी प्रशिक्षण और कार्यशालाएं, निर्यात दस्तावेज़ीकरण और प्रक्रियाओं में सहायता, और एमएसएमई को सुविधा प्रदान करने के लिए उद्योग संघों, राज्य सरकारों तथा वाणिज्य विभाग के साथ सम्पर्क शामिल है।

(ग) निर्यात संवर्धन मिशन के अंतर्गत क्षमता निर्माण पहलों में आउटरीच कार्यक्रम, जानकारी का प्रसार, कार्यशालाएं, सेमिनार और निर्यातक की तैयारी को मजबूत करने की पहल शामिल हैं और सीमित नहीं हैं।

(घ) निर्यात संवर्धन मिशन के अंतर्गत की गई पहल और विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत अन्य सभी शुल्क छूट/छूट स्कीम भिवानी-महेंद्रगढ़ सहित पूरे भारत के निर्यातकों के लिए उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त, वर्तमान में एमएसएमई मंत्रालय अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में हरियाणा में दो निर्यात सुविधा केंद्र (ईएफसी), नामत: एमएसएमई-विकास और सुविधा कार्यालय, करनाल एवं प्रौद्योगिकी केंद्र, रोहतक संचालित कर रहा है।

हरियाणा में निर्यात सुविधा केंद्रों (ईएफसी) ने निर्यात विपणन से संबंधित प्रबंधन विकास कार्यक्रमों (एमडीपी) निर्यात पैकेजिंग, निर्यात ऋण और बीमा संबंधी राष्ट्रीय सेमिनारों/कार्यशालाओं के माध्यम से एमएसएमई को सहायता प्रदान की है।

****